

कार्यालय,संघित प्राविधिक शिक्षा परिषद,इन्दौर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिपा/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय शाय:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारमैसी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम: प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मटी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2257-SHAKTI COLLEGE OF PHARMACY, DULHNPUR, BALRAMPUR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	संस्था का कोड/पैठिका सं०	परिषद द्वारा सत्र
1	DIPLOMA IN PHARMACY	2257/0010/0010/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
		60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓

कार्यालय,

अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

संखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

:-कार्यालय आप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सैलिक सब 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरिय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सब 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को पदतल अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सब 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का बौद्धिक एवं नाम : 2257-SHAKTI COLLEGE OF PHARMACY

बोर्ड

संस्था का नाम

संस्थाईलीगलिबैडुव पीपीआईएँ द्वारा सब 2023- परिषद द्वारा सब 2023-24 हेतु

24 हेतु अनुमोदन प्रवेश क्षमता

अनुमोदन प्रवेश क्षमता

1 DIPLOMA IN PHARMACY

60

60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 2018 प्रवेश संरक्षण के पर संख्या 21/1/16-2089/2022 टीओपी-1 दिनांक 18 नव 2023 द्वारा पूर्व से संचालित संरक्षण संस्थानों की ओर के विस्तार अनुमोदन प्रस्तावपत्र में प्राविधिक शिक्षा परिषद संख्या 5227/2023 में अनुमोदन प्रस्तावपत्र के अंतिम निर्णय के अंतिम संस्करण निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के संरक्षण के अनुक्रम संरक्षण में संरक्षण संस्थान (शुद्ध, सख्त, ठीक उपकरण) अति उपकरण है।
- ✓ संस्था 2018 प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट, 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनकारी 1992, विनियमनकारी-2000, संशोधित विनियमनकारी-2016 तथा संस्था-समय पर निर्मित संरक्षणों को अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्राथमिक प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त संरक्षणों में शुल्क के सम्बन्ध में संस्था-समय पर संरक्षण द्वारा निर्णय किये जाने वाले संरक्षणों पर ध्यान देनी होगी, और सट्टुनार करवाई किया जाना आवश्यक होगा। वीथ निर्धारण समिति द्वारा सवि सब 2023-24 हेतु वीथ का प्रावधान किया जात है, जो वीथ की नवीकरण हो लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित सभी को ही प्रवेश दिया जाएगा।

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परीषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

-कार्यालय प्रारंभ-

अधिकांश भारतीय राज्यों की शिक्षा परिषदें, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यपालिकाओं और इण्डियन न्यू दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विदेशीय राष्ट्रीय उच्च-मैट्रिकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अलावा प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सभित द्वारा सत्र 2020-21 हेतु कार्यपालिका नई दिल्ली को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश सभ्यता वृद्धि सभित द्वारा जारी कर विस्तार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त में अनुक्रम में सम्बद्धता सभित की बैठक के सत्र-3 में विदेशीय इन कार्यपालिका पाठ्यक्रम कार्यालय करने वाली पूर्ण से सम्बद्धता संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता सभित द्वारा पत्र विस्तार-विस्तार का निर्णय किया गया -

- निजी क्षेत्र में स्थापित विभिन्न इन कार्यपालिका पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईई द्वारा उन्हें पद्यवत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के समुच्च अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश सभ्यता को सत्र सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सभित द्वारा विस्तार-विस्तार किया गया एवं सर्वसम्बद्धि से पीसीआईई द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अद्यतन सम्बद्धता सभित की बैठक में किये गये प्रस्ताव निर्णय के अनुक्रम में पत्र संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्धारित सत्रों के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश सभ्यता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं. सं. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईई 2020-21 में अनुमोदन प्रदान सभ्यता	पीसीआईई /परिषद 2020-21 में अनुमोदन प्रदान सभ्यता
1	सीएल एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र।	विदेशीय इन कार्यपालिका	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीसीआईई/पीसीआईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था लखनऊ प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 सत्र प्राथमिक शिक्षा परिषद निर्देशिकाओं 1982, संशोधन निर्देशिकाओं-2018 सत्र अन्य निर्देशिकाओं एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्देशिकाओं द्वारा निर्धारित शुल्क वीस प्रतिशत इत्यादि पाठ्यक्रमों हेतु रु. 20,000.00/- अथवा, जो अधिक कार्यपालिका पाठ्यक्रम हेतु रु. 40,000.00/- अथवा हेतु एक लाख (1) अथवा पाठ्यक्रमों [1] अथवा कार्यपालिका पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रु. 20,000.00 अथवा वीस प्रतिशत सत्र/प्रवेश के प्रदान किया जायेगा। प्रस्तावित के अतिरिक्त सत्र/प्रवेशों से शुल्क के सम्बन्ध में सत्र-सत्र पर

(Handwritten signature)

